[2021] 7 एस. सी. आर. 366

कुरवन अन्सारी एलियास कुरवन अली और ए. एन. आर.

वी.

श्याम किशन मुरमू और ए. एन. आर.

(2021 की सिविल अपील संख्या 6902)

16 नवंबर, 2021

[आर. सुभाष रेड्डी और ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988: s.163-ए-अनुमानित आय-एस के तहत किए गए दावे का निर्धारण। 163 - ए-मृत बच्चा-एक कमाने वाला सदस्य नहीं-न्यायाधिकरण ने मुआवजे को तय करने के लिए अनुसूची II के अनुसार काल्पनिक आय पर विचार किया-दावेदार ने मांग की

मुआवजे में वृद्धि-आयोजितः यह पुट्टम्मा और ओरस में देखा गया था। कि केंद्र सरकार को अनुसूची-II में संशोधन करने के कर्तव्य दिए गए थे। 163 - ए (3), लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा। उसी को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार को उक्त मामले में जीवन यापन की वर्तमान लागत को ध्यान में रखते हुए अनुसूची-II में उचित संशोधन करने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी किए गए थे-बार-बार निर्देशों के बावजूद, अनुसूची-II में संशोधन नहीं किया गया था-इसलिए, गैर-अर्जित सदस्य के लिए अनुमानित आय <आईडी2,000/- पी. ए. तय करना उचित और उचित नहीं था-पुट्टम्मा, आर. के. मलिक और किशन गोपाल में दिए गए निर्णयों को देखते हुए, मुद्रास्फीति, रुपये के अवमूल्यन और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए अनुमानित आय को बढ़ाना एक उपयुक्त मामला है-मृतक की अनुमानित आय <आईडी1,000/- पी. ए. निर्धारित की गई थी।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः न्यायाधिकरण ने मृतक की अनुमानित आय Rs.15,000/- प्रति वर्ष लेकर मुआवजे का आदेश दिया। यह.

पुट्टम्मा में देखा गया कि केंद्र सरकार थी मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 163-ए (3) को ध्यान में रखते हुए अनुसूची-2 में संशोधन करने के कर्तव्यों को सौंपा गया था, लेकिन यह ऐसा करने में विफल रहा। उसी को ध्यान में रखते हुए, केंद्र को विशिष्ट निर्देश जारी किए गए थे

सरकार अनुसूची-II में उचित संशोधन करेगी

जीवन यापन की वर्तमान लागत को ध्यान में रखते हुए। उक्त निर्णय में, जब तक इस तरह के संशोधन नहीं किए जाते हैं, तब तक पांच साल की उम्र तक के गैर-कमाने वाले बच्चों के लिए मुआवजे के लिए रुपये की राशि और गैर-कमाने वाले व्यक्तियों के लिए रुपये की राशि तय करके मुआवजे के पुरस्कार के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

366 कुरवन अन्सारी एलियास कुरवन अली और ए. एन. आर. वी. श्याम किशन मुरमू और ए. एन. आर.

पाँच वर्ष से अधिक आयु का। आर. के. मलिक के मामले में भी इस न्यायालय ने कहा था कि धारा के तहत निर्धारित अनुमानित आय

163 - मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का ए Rs.15,000/- प्रति वर्ष के रूप में

इसे बढ़ाया और बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह 14.11.1994 के बाद से बिना किसी संशोधन के बना रहा। किशन गोपाल के मामले में, जहां मृतक दस साल का बच्चा था, इस अदालत ने उसकी अनुमानित आय Rs.30,000/- प्रति वर्ष निर्धारित की थी। इसमें

मामला, दुर्घटना 06.09.2004 पर हुई। पुट्टम्मा, आर. के. मलिक और किशन गोपाल के फैसलों को ध्यान में रखते हुए, मुद्रास्फीति, रुपये के अवमूल्यन और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए अनुमानित आय को बढ़ाना एक उपयुक्त मामला है। मृतक की अनुमानित आय Rs.25,000/- प्रति वर्ष ली जाती है। [पारस

12-16] [370 - डी-एच; 371-बी-सी]

पुट्टम्मा और ओआरएस। वी. के. एल. नारायण रेड्डी और अन्र. (2013) 15 एससीसी 45: [2013] 16 एस. सी. आर. 831; किशन गोपाल और

एन. आर. वी. लाला और ओआरएस। (2014) 1 एससीसी 244 [2013] 10

एस. सी. आर. 793-निर्भर।

राजेन्द्र सिंह और अन्य। वी. राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और अन्य। (2020) 7 एस. सी. सी. 256-लागू नहीं होता है।

आर. के. मलिक और अन्र. वी. किरण पाल और ओआरएस। (2009) 14 एससीसी

1 : [2009] 10 एस. सी. आर. 87 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

[2013] 16 एससीआर 831

उस पर भरोसा करें

पैरा

8

[2013] 10 एससीआर 793

उस पर भरोसा करें

पैरा

8

[2009] 10 एससीआर 87

संदर्भित किया गया है

पैरा

8

अप्रयोज्य रखा गया

(2020) 7 एससीसी 256

पैरा

9

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 6902

2021 से।

उच्च न्यायालय के 03.08.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2011 की विविध अपील No.66 में रांची में झारखंड सरकार की।

एस. एन. भट, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

अनुभव, यशवंत सिंह यादव, सुश्री प्रीति यादव, रवि करहाना,

अमित कुमार, राजेश कुमार, रामेश्वर प्रसाद गोयल, वी. एस. चोपड़ा, सुश्री मंजीत चावला, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

21] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. सुभाष रेड्डी, जे.

1. छुट्टी मंजूर की गई।

2. यह दीवानी अपील अपीलार्थियों द्वारा 2011 के एम. ए. No.66 में दावेदारों द्वारा की जाती है, जिसे झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष

रांची, दिनांक 03.08.2018 के फैसले और आदेश से व्यथित है।

3. संक्षेप में, इस अपील के निपटारे के लिए आवश्यक तथ्य यह हैं कि 06.09.2004 पर, जबकि अपीलार्थियों का पुत्र-दावेदार अर्थात। , इब्राहिम अली, जो कक्षा-II में पढ़ने वाला लगभग 7 (सात) साल का लड़का था, अपने नाना-नानी के घर के सामने सड़क के किनारे खड़ा था, एक मोटरसाइकिल। उसे धक्का देकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई है। उक्त वाहन श्री सुनील गुरुम द्वारा चलाया गया था और प्रतिवादी संख्या 1 के स्वामित्व में था और प्रतिवादी संख्या 2 के साथ बीमा किया गया था।

4. उक्त दुर्घटना के कारण, जिसके परिणामस्वरूप दावेदारों के बच्चे की मृत्यु हो गई, उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163-ए के तहत मुआवजे का दावा करते हुए एक दावा याचिका दायर की। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष, दावेदारों का मामला था कि दुर्घटना अपराधी मोटरसाइकिल के चालक की लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई है; दुर्घटना के समय मृतक लड़के की आयु लगभग 7 वर्ष थी और वह कक्षा-2 में पढ़ रहा था। न्यायाधिकरण ने अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि दुर्घटना लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई है मोटरसाइकिल के चालक का। , सुनील गुरुम। न्यायाधिकरण ने मृतक की अनुमानित आय Rs.15,000/- प्रति वर्ष पर विचार करते हुए, गुणक '15' लागू करके, निर्णय की तारीख से प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ रु. <आईडी2/- का मुआवजा दिया। चूंकि उल्लंघन करने वाली मोटरसाइकिल के चालक श्री सुनील गुरुम के पास दुर्घटना के समय वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी संख्या 2-बीमा कंपनी को दावेदारों को मुआवजे का भुगतान करने और मुआवजे की वसूली करने का निर्देश दिया।

अपने मालिक से भी।

5. अंशदायी लापरवाही का अनुरोध करते हुए, बीमा कंपनी ने मुआवजे में वृद्धि के लिए 2011 की एम. ए. संख्या 115 को प्राथमिकता दी थी, दावेदारों ने रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष 2011 की एम. ए. संख्या 66 को प्राथमिकता दी है।

6. विवादित फैसले से, उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है

बीमा कंपनी द्वारा पसंद की गई अपील और आंशिक रूप से कुरवन अन्सारी एलियास कुरवन अली और ए. एन. आर. की अनुमति दी गई।

वी. श्याम किशन मुरमू और ए. एन. आर. [आर. सुभाष रेड्डी, जे।]

दावेदारों द्वारा अंतिम संस्कार के खर्च के लिए Rs.15,000/की अतिरिक्त राशि प्रदान करके प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपीलार्थी रुपये की राशि के हकदार हैं। 2,40,000 / - दावा याचिका दायर करने की तारीख से न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए ब्याज के साथ मुआवजे के लिए।

7. हमने अपीलार्थियों के विद्वान वकील श्री एस. एन. भट और प्रतिवादी संख्या 2-बीमा के विद्वान वकील श्री वी. एस. चोपड़ा को सुना है। कंपनी।

8. अपीलार्थियों के विद्वान वकील श्री एस. एन. भट ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया मुआवजा निचले पक्ष में है और न्यायसंगत और निष्पक्ष नहीं है। विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की अनुसूची-II के अनुसार मृतक की आय को अनुमानित रूप से Rs.15,000/- प्रति वर्ष मानते हुए मुआवजा दिया गया था, जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की अनुसूची-II पर लागू होता है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163-ए के तहत किए गए दावे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि रुपये की अनुमानित आय। 15,000 / - यह वर्ष 1994 में तय किया गया था और इस न्यायालय द्वारा बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद किसी भी तरह से इसे बिना किसी संशोधन के कानून में जारी रखा गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 163-ए (3) के तहत प्रावधान को देखते हुए, हालांकि यह अनिवार्य था

9. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 2-बीमा कंपनी के विद्वान वकील श्री वी. एस. चोपड़ा ने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है और राजेंद्र सिंह और अन्य के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया है। वी. राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड & Ors.[a]। 10. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमने विवादित निर्णय और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्री का अध्ययन किया है।

1 1 (2013) 15 एससीसी 45 2 (2009) 14 एससीसी 1

3 3 (2014) 1 एस. सी. सी. 244 (2020) 7 एस. सी. सी. 256 [2021] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. चूंकि दावा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 163-ए के तहत किया गया था, क्योंकि मृतक बच्चा कमाने वाला सदस्य नहीं था,

न्यायाधिकरण ने क्षतिपूर्ति निर्धारित करने के उद्देश्य से अनुसूची-II के अनुसार अनुमानित आय पर विचार किया है। न्यायाधिकरण ने मुआवजे का आदेश दिया है

गुणक '15' लागू करके मृतक की अनुमानित आय Rs.15,000/- प्रति वर्ष लेकर, निर्णय की तारीख से प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ निर्भरता के नुकसान के लिए रु. <ID2/- का मुआवजा दिया गया। जब बीमा कंपनी के साथ-साथ अपीलकर्ताओं द्वारा इसमें अपील की जाती है, तो विवादित सामान्य निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है, और दावेदारों द्वारा दायर अपील में, 2 रुपये की निर्भरता के नुकसान के लिए दिए गए मुआवजे की पुष्टि करते हुए, अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 1,000 रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की है और तदनुसार प्रतिवादी संख्या 2-बीमा कंपनी द्वारा देय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 3 रुपये का कुल मुआवजा प्रदान किया है और मोटरसाइकिल के प्रतिवादी संख्या 1-मालिक से उसी की वसूली करने की अनुमति दी है।

12. पुट्टम्मा और अन्य के मामले में निर्णय में '। , इस न्यायालय ने कहा है कि केंद्र सरकार को कर्तव्य सौंपे गए थे

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 163-ए (3) को ध्यान में रखते हुए अनुसूची-2 में संशोधन करना, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा। इसी को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार को जीवन यापन की वर्तमान लागत को ध्यान में रखते हुए अनुसूची-II में उचित संशोधन करने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी किए गए थे। उक्त निर्णय में, जब तक इस तरह के संशोधन नहीं किए जाते हैं, तब तक 5 (पाँच) वर्ष की आयु तक के गैर-कमाने वाले बच्चों के लिए मुआवजे के रूप में रु. 1/- (केवल एक लाख रुपये) की राशि तय करके मुआवजे के पुरस्कार के लिए निर्देश जारी किए गए थे। 1,50,000 / - (5 (पाँच) वर्ष से अधिक आयु के गैर-कमाने वाले व्यक्तियों के लिए केवल एक लाख पचास हजार रुपये)।

13. आर. के. मलिक और Anr.2 के मामले में भी, इस न्यायालय ने

यह मत व्यक्त किया गया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163-ए के तहत Rs.15,000/- प्रति वर्ष के रूप में निर्धारित अनुमानित आय को बढ़ाया और बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह 14.11.1994 के बाद से बिना किसी संशोधन के बनी हुई है। किशन गोपाल और Anr.³ के मामले में जहां मृतक दस साल का बच्चा था, इस अदालत ने उसकी अनुमानित आय निर्धारित की है -

Rs.30,000/- प्रति वर्ष।

14. इस मामले में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दुर्घटना 06.09.2004 पर थी। बार-बार निर्देशों के बावजूद, अनुसूची-II अभी तक कुरवन अन्सारी एलियास कुरवन अली और ए. एन. आर. नहीं है।

संशोधित किया गया। इसलिए, गैर-कमाने वाले सदस्यों के लिए अनुमानित आय Rs.15,000/- प्रति वर्ष निर्धारित करना उचित और उचित नहीं है।

15. पुट्टम्मा और Ors.[1] के मामलों में निर्णयों को ध्यान में रखते हुए,

आर. के. मलिक और किशन गोपाल का मानना है कि मुद्रास्फीति, रुपये के अवमूल्यन और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए अनुमानित आय को बढ़ाना एक उपयुक्त मामला है। उसी को ध्यान में रखते हुए, राजेंद्र सिंह और अन्य के मामले में निर्णय। * प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया- बीमा कंपनी बीमा कंपनी के मामले में कोई सहायता प्रदान नहीं करेगी।

16. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम धारणा लेना उचित समझते हैं।

निर्भरता के नुकसान के लिए रु. 3,75,000/- (Rs.25,000/- x गुणक 15)। अपीलार्थी प्रत्येक संतान संघ के लिए Rs.40,000/- और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए Rs.15,000/- की राशि के भी हकदार हैं। इस प्रकार, अपीलार्थी मुआवजे के लिए निम्नलिखित राशियों के हकदार हैं:

(क) निर्भरता का नुकसानः रु. 3,75,000-00

(ख) फिलियल कंसोर्टियम

रु. 80,000-00

:

(Rs.40,000/- x2)

(ग) अंत्येष्टि का खर्च

रु. 15,000-00

:

कुल

रु. 4,70,000-00

:

17. तदनुसार, अपीलार्थी एक राशि के हकदार हैं -

रु. 4,70,000/- (केवल चार लाख सत्तर हजार रुपये) दावा याचिका की तारीख से वसूली की तारीख तक प्रति वर्ष 6 प्रतिशत ब्याज के साथ कुल मुआवजे के लिए। न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार बढ़े हुए मुआवजे को अपीलार्थियों के बीच विभाजित किया जाएगा। सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपीलार्थियों को किया जाएगा - बीमा कंपनी, और हम इसे बीमा कंपनी के लिए खुला रखते हैं कि वह प्रतिवादी संख्या 1-मोटरसाइकिल के मालिक से उचित कार्यवाही शुरू करके उसी की वसूली करे क्योंकि मोटरसाइकिल 372 द्वारा संचालित थी।

एक ड्राइवर जिसके पास वली दुर्घटना नहीं थी।

18. तदनुसार, यह सिविल एपी जैसा कि ऊपर बताया गया है। इस बारे में कोई आदेश नहीं